पंचायती राज विभाग

बिहार राज्य जिला परिषद् सेवाशर्त्त नियमावली, 2023 के तहत जिला अभियंता के कुल स्वीकृत 38 पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन :–

बिहार राज्य जिला परिषद् द्वारा संचालित योजनाओं के सफल प्रबंधन हेतु जिला अभियंता के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार पदों की संख्या, योग्यता एवं अनुभव तथा मानदेय एवं अन्य शर्त्त निम्नवत् है :–

Sl.No.	Type of Post	Qualification & Experience	NO. of Post			Fixed Pay (Per Month in Rupees)
			Total -38			
			Cat	Male	Female	
1	District Engineer	✓ कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी ✓ जिला परिषद् में जिला अभियंता के पद पर पूर्व में कार्य का अनुभव रखने वाले अभियंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।	UR	10	05	Last Pay drawn pension. The actual cost of contract will be calculated after employment
			EBC	05	02	
			SC	04	02	
			BC	03	02	
			ST	00	00	
			WBC	00	01	
			EWS	03	01	

03. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–

(A) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(B) सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–03/एम०–63/2013 सा०प्र०– 10000, दिनांक–10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।

(C) नियोजन प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी।

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

04. आवेदन की प्रक्रिया :–

(A) सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

(B) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञाप्ति पद के लिए अर्हता रखते हो तो इस पद पर online आवेदन कर सकते हैं।

05. पंचायती राज विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाईट–state.bihar.gov.in/prdbihar पर दिनांक–23.08.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन की जा सकेगी एवं प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक–28.08.2024 को विभागीय सभागार में काउंसलिंग की जायेगी। जिला अभियंता के संबंधित पदों की संख्या/आरक्षण कोटिवार रिक्ति का विवरण पंचायती राज विभाग के इस वेबसाईट–state.bihar.gov.in/prdbihar पर प्रदर्शित है। जिला अभियंता के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार दिव्यांगों एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतीनी/पोता/पोती को क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

06. Online आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। Online आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

07. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

08. जिला अभियंता के पद पर चयनित उम्मीदवारों को जिलावार आवंटित कोटि के अनुसार संबंधित जिलों में पदस्थापित किया जायेगा।

09. कार्य अनुभव के प्रमाण स्वरूप P.P.O. को आधार माना जायेगा।

सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय देय वेतन + मंहगाई भत्ता का योगफल में से पेंशन + मंहगाई भत्ता घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

10. संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा नियोजन अवधि विस्तार नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा और इसके लिये अलग से कोई सूचना/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

11. संविदा एकरारनामा– वेबसाईट–**state.bihar.gov.in/prdbihar** पर उपलब्ध शर्त्त के अनुरूप एकरारनामा किया जायेगा।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

PR- 004953 (Panchayati Raj) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।